ग्रामीण भारत की गरीबी का उन्मूलन करती मनरेगा योजना

रीना दुबे व डॉ. उषा अग्रवाल

'सुजलां सुफला मलयजशीतला शस्यश्यामला मातरम्' आदि कहकर कवियों ने जो भारत माता का चित्रण किया है। वह उसके ग्राम स्वराज्य को प्रदर्शित करता है। यह सत्य है कि गॉवों ही किसी भी देश की सामाजिक, सॉस्कृतिक व्यवस्था के मूल केन्द्र होने के साथ ही आर्थिक व्यवस्था के मूल आधार हैं, इसीलिए भारत जैसे विकासशील देश के चहुॅमुखी विकास के लिए गॉवो की ओर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि देश की अधिकतर जनसंख्या अभी भी गॉवों में निवास करती है, जो अशिक्षा, अन्धविश्वास, बेरोजगारी, गरीबी, जातिबाद, बिजली व पानी की असुविधा, यातायात व संचार की अव्यवस्था की समस्याओं से ग्रसित है। इन सारी समस्याओं के साथ किसी भी प्रगतिशील राश्ट्र की कल्पना करना असम्भव होगा।

गरीबी और बेरोजगारी ऐसी समस्यायें हैं, जिनके निवारण के बिना देश की प्रगति नही हो सकती। बढती हुई आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु गरीबी दूर करने के लिए आर्थिक विशमता दूर करने एवं बढती नगरीकरण की समस्या का समाधान गॉवो में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही होगा, क्योंकि रोजगार से अर्जित धनराशि से ही लोग अपने और अपने परिवार के लिए जीवन की मूलभूत सुविधाओं रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबन्ध कर सकते हैं, और अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। तथा धीरे–धीरे सरकारी और गैर–सरकारी ऋण के बोझ से अपने परिवार को मुक्त भी करा सकते हैं।

रोजगार की कमी ही गरीबी का मुख्य कारण है, क्योंकि किसी भी राश्ट्र के स्वास्थ्य का थर्मामीटर है कि वहॉ के कितने नागरिक रोजगार शुदा हैं। जिस राश्ट्र के नागरिक जितनी अधिक संख्या में बेरोजगार होंगे वह राश्ट्र उतना ही अधिक समस्या ग्रस्त होगा।

प्रख्यात कृशि वैज्ञानिक श्री स्वामी नाथन ने भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा था कि–आज नौकरियों के लिए असमी और बिहारी लड़ रहे हैं और वह समय दूर नहीं जब नौकरियों की लड़ाई पूरे भारत में छिड़ जायेगी, उन्होंने देश के नीति–निर्धारिको को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर भूमिहीन गरीबों को रोजगार नही मिला तो नौकरियों कि लिए क्षेत्रीय टकराव आम हो जायेगें ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना होगा।

बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है, जिसमें कार्य करने योग्य व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा होते हुए भी कोई रोजगार नहीं मिलता जिससे उसे नियमित रूप से आय प्राप्त होना सम्भव नही हो पाता ।

आज देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर गरीब लोग दिहाड़ी शारीरिक मजदूरी से मिलने बाली मजदूरी पर आश्रित हैं। इसी कारण वे अक्सर न्यूनतम साधनों से अपना गुजारा करते हैं और गरीबी और बेरोजगारी की विकट समस्या से जूझते रहते हैं।

एक ओर जहां कृशि की पिछड़ी हुई दशा भी बेरोजगारी को बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि समय–समय पर प्राकृतिक आपदाओं से नश्ट होने वाली फसलें ग्रामीणों को बेरोजगारी की स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। वहीं दूसरी ओर कृशि में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होने से भी बेरोजगारी की समस्या में बढोत्तरी हुई है। इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों एव कुपोशण भी बेरोजगारी का एक बडा कारण है साथ ही उचित शिक्षा के अभाव के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रो में बच्चों की परवरिश उचित ढ़ग से नही हो पाती जिससे बड़े होने पर उनकी कार्य कुशलता प्रभावित होती है। ग्रामीण लोग अनेक अन्धविश्वास एव कुरीतियों के पनपने के साथ ही सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओ एवं दी गयी सुविधाओं से अनविज्ञ रहते हैं।

बेरोजगारी के कारण ग्रामीण श्रमिक शहरों की चकाचौध भरी जीवन शैली की तरफ आकर्शित हो

जाते है और वहॉ रोजगार तलाशने लगते हैं, लेकिन शहरो में उन्हें रोजगार तो मिलता है उसके साथ ही उनका मानसिक उत्पीड़न भी होता है। जिससे ग्रामीण युवाओं की हालत बद से बदतर हो जाती है और परिवार से दूर रहकर वेश्याबृत्ति मध्पान जैसी भयंकर वीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं।

इसी कारण महात्मा गॉधी जी ने कहा था कि 'दिल्ली भारत नही भारत तो गॉवों में बसता है' हमारे देश भारत का उद्धार तभी होगा जब गॉवों का दोहन न हो क्योंकि भारत गॉवों का देश है इसीलिए गॉवो की अनदेखी कर दी तो भारत नश्ट हो जायेगा। गॉव की उत्पादन शीलता ही भारत की राश्ट्रीय आय का मुख्य श्रोत है। गॉव से ही हमें जीवन यापन की वस्तऐं प्राप्त होती है। इतना ही नहीं भारत के बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कपडा, चीनी, वनस्पति, तेल, चाय व जूट आदि कच्चे माल के लिए गॉव पर ही निर्भर हैं। इस प्रकार भारत की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था में गॉवों का अत्यधिक महत्व है लेकिन आज वही भारत के गॉवो में अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर जैसे–तैसे अपना पेट पाल रहे है।

इसीलिए अब हमारे–सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीणों को रोजगार देना है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय का मुख्य स्त्रोत कृशि है। परन्तु कृशि मौसमी व्यवसाय है। इसलिए कृशि एवं कृशि आधारित उद्योगों में मौसमी बेरोजगारी पायी जाती है। ग्रामीण बेरोजगारी का दूसरा स्वरूप वर्श भर में अल्प बेरोजगारी एवं छिपी हुई बेरोजगारी है।

अल्प रोजगार के अन्तर्गत श्रमिकों को उनकी क्षमता अथवा योग्यता के अपेक्षानुसार काम नही मिलता तथा अदृश्य बेरोजगारी के अन्तर्गत श्रमिक बाहर से तो कार्य से लगे प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तव में उन श्रमिकों को कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। कृशि क्षेत्र में इस प्रकार की अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है।

भगवती रिपोर्ट के अनुसार 1971 में देशभर में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल सुख्या 187 लाख थी जिनमें से 161 लाख 86 (प्रतिशत) बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों के थे।

हाल ही में क्रिसिल के एक अध्ययन में बताया गया है कि वर्श 2011 में 37 करोड़ से ज्यादा किसान खेती छोड़कर दिहाडी मजदूरी करने शहरों की तरफ पलायन कर गये। लेकिन 2013–14 के बीच जब अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गयी तो लगभग 2.5 करोड़ लोग रोजगार के अवसरों की कमी के चलते अपने गॉव लौट आये। यानी उनसे अब दिहाड़ी मजदूरी को अवसर भी छिन गया।

इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा बनायी गयी महात्मा गॉधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा बेरोजगारी और गारीबी दूर करने का भरकस प्रयास किया है। मनरेगा योजना ग्रामों के समग्र विकास एवं ग्रामवासियों के उत्थान की दृश्टि से वरदान सिद्ध हुयी है। जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में कोई कमी नहीं रखी। ग्रामीण समाज का विकास नीतिगत फैसलों के जरिये ही सम्भव है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही देश के सभी नागरिकों को गरीबी और बेरोजगारी से निजात हेतु समय–2 पर आवश्यकतानुसार विभिन्न नामों से अनेक योजनाओं को भी संचालित किया जाता रहा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य देश में व्याप्त क्षेत्रीय विशमताओं को कम करना और अमीरी गरीबी के बीच की खाई को पाटना रहा है।

अब तक संचालित की गई इन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में अच्छी सफलताऐं भी अर्जित हुई है लेकिन इन योजनाओं में जिस जनुपात में विशाल आर्थिक संसाधन लगाये गये उस अनुपात में इनसे लाभ अर्जित नही किये जा सके। लेकिन मनरेगा योजना ने हर प्रकार से ग्रामीणों को समस्याओं को कम किया है क्योंकि इस अधिनियम से हर ग्रामीण नागरिक को रोजगार की गारण्टी मिली है।

मनरेगा योजना यू.पी.ए. सरकार द्वारा 2005 में बनायी गयी थी। आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को इस योजना की शुरूआत की थी। इस योजना का पूर्ववर्ती नाम नरेगा (राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी) योजना था। 2 अक्टूबर 2009 को बापू जी की 140वीं जयन्ती पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने इस योजना का नया

नामकरण किया तथा नरेगा योजना को मनरेगा में बदल दिया गया।

मनरेगा योजना में कोई कमी न रह जाये इसीलिये उसे सरकार ने चरणवार तरीके से लागू किया था। पहले चरण में देश के दो–सौ जिलों में इसे लागू किया गया फिर इस योजना के अन्तर्गत आने वाली बाधाओं को दूर किया गया जब यह योजना अपने उद्देश्य में सफल दिखी तो इसे अलग–2 चरणों में पूरे देश में लागू किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार की गारंटी देने वाले इस कानून ने ग्रामीण विकास की दिशा में सकारात्मक प्रभावों को जन्म दिया है, साथ ही मनरेगा योजना ने ग्रामीण विकास की दिशा में दलित वर्गो के सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत दिये हैं।

इस योजना ने समाज की रुढ़ियों एवं परम्पराओं को चुनौती ही है, तथा समाज में आधुनिकीकरण में अप्रत्यक्ष रुप से योगदान दिया है।

इस कानून में श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए हैं, साथ ही अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीख गये हैं। निःसन्देह रूप से मनरेगा योजना हमारे देश के लिए ऐसे समाज का निर्माण कर रही है, जिसमें विकास की बयार गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुँच रही है। मनरेगा येजना से पहले संचालित की जा रही अन्य योजनाओं से यह योजना इस मायने में अलग हैं, क्योंकि इससे पहले ग्रामीण वेरोजगारों एवं किसानों की दशा सुधारने के लिए इतनी बड़ी राशि किसी भी योजना पर खर्च नही की गई। देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या एवं वेरोजगारी की स्थिति में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा योजना सफल रही है। भारत जैसे कृशि प्रधान देश में जहॉ 70प्रतिशत लोग गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहे हो, श्रमशक्ति का एक बड़ा भाग अकुशल असंगठित हो, ऐसे में बेरोजगारी को दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

''महाराश्ट्र के पूर्व मुखयमंत्री बंसतराव नाइक देव के शब्दो में–मनरेगा योजना एक क्रान्तिकारी ग्रामीण रोजगार गारंटी येाजना है, जो तबाह किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है''।

इस प्रकार मनरेगा योजना ने एक तरह से गॉवों को वैसाखियॉ न देकर उसे अपने पैरों के बल पर खड़े होने लायक बनाया है, तथा इस योजना से बेरोजगारों की ऑखो में चमक एवं गौरव की भावना में वृद्धि तथा जीवन यापन में सुधार हुआ है।

मनरेगा योजना को लागू करने के बाद उन जिलो में जहॉ पहले चरण में मनरेगा अधिनियम को जोर–शोर से लागू किया गया था, वहॉं से जबर्दस्त अनुक्रिया मिली है एवं लोगो का समर्थन भी मिला है। अब तक जो सूचनायें प्राप्त हुई है। उनके अनुसार महात्मा गॉधी नरेगा योजना ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किये है, उसके कारण उन लोगों के पलायन करने की संख्या में कमी आयी है जो रोजी–रोटी की तलाश में घबराकर गॉव छोड़ने को विवश हो जाते थे तथा इस योजना ने अनेक महिलाओं को कार्य करने के लिए आकर्शित किया है।

इस प्रकार 'महात्मा गॉधी नरेगा' योजना निर्बल को सबल बनाने की योजना है तथा यह योजना ग्रामीणों को आर्थिक विपन्नता एवं सामाजिक विशमता से मुक्ति दिलाने वाली योजना है। मनरेगा येाजना आज सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का एक वाहक बन गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण भारत का वित्तीय समावेशन का सपना

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
कर्नल आर.सी.एम. पी.जी. कॉलेज, मैनपुरी

सन्दर्भ–सूची

1.–सन्तोश मेहरोत्रा–मई 2005 कुरूक्षेत्र–गरीबी निवारण के लिए रोजगारो–मुख विकास
2–डा. एस. के. सिंह और शशिबाला–जून 2007 योजना–ग्रामीण बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या
3–हेना नकवी– जुलाई 2008 साप्ताहिक अखबार–भारत के गॉव
4–डा0 उमेश चन्द्र अग्रवाल–दिसम्बर 2003–ग्रामीणों और गरीबों हेतु नई योजनाएं–एक समीक्षा
5–डा0 श्याम सुन्दर सिंह चौहान एवं साधना सिंह–दिसम्बर 2003–ग्रामीण विकास–एक विशिश्ट अवलोकन
6–प्रमोद जोशी– जनवरी 2010–भारत का समावेशी विकास